Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VII, Issue No. XIV, April-2014, ISSN 2230-7540

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और 1937 के प्रांतीय सरकार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की भूमिका

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VII, Issue No. XIV, April-2014, ISSN 2230-7540

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और 1937 के प्रांतीय सरकार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की भूमिका

Vivek Kumar[1]* Dr. Shyam Kishore Singh[2]

[1] History Department

[2] Research Supervisor, S.K. R. K. G. College Sitamarhi, B.B. R.A. Bihar University Muzaffarpur

सार – *यह इकाई वर्ष 1936-39 के दौर के राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रकाश डालती है। यह वह दौर था जब कांग्रेस ने आंदोलन और जन संघर्षों का रास्ता छोड़ दिया था, और दूसरी बार संवैधानिक राजनीति के चरण में प्रवेश किया था। लेकिन, पहले के स्वराजवादी चरण के विपरीत, इस बार कांग्रेस का इरादा संवैधानिक तरीकों का परीक्षण करना था। इसी के अनुरूप कांग्रेसियों ने अपनी सफलता के लिए काम किया। परंतु इसका मतलब यह नहीं है। कि संवैधानिक तरीका अपनाने के सवाल पर कांग्रेसियों में मतभेद नहीं थे।*

दरअसल कांग्रेस द्वारा लिए गये किसी भी निर्णय पर अमल से पहले जोरदार बहस होती थी। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई के मूल सवाल पर सहमति थी, फिर भी इस लड़ाई के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों को लेकर कांग्रेसियों में विवाद था। यह वही समय था जब वामपक्ष कांग्रेस के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वामपक्ष और दक्षिणपक्ष विभिन्न मसलों पर वाद-विवाद और बहस करते थे। एक उत्तेजक बहस के बाद कांग्रेस ने 1937 *में चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसे सात प्रांतों में सरकार बनाने में सफलता मिली।*

----------X----------

भूमिका

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने दो वर्ष से कुछ ही अधिक समय तक काम किया। सत्ता में रहने की अल्पावधि में उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ा। अलग-अलग सामाजिक वर्गों की कांग्रेस से अलग-अलग अपेक्षाएं थीं, इसलिए जब कांग्रेस सत्ता में आयी तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गयीं। कांग्रेस जिन सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध थी, उनमें से कुछ निश्चित सिद्धातों को अमल में लाने में सफल हई। लेकिन ऐसे भी मसले थे जिन पर कांग्रेस भीतर से विभाजित थी।

हालांकि कांग्रेस मंत्रिमंडला ने सितम्बर, 1939 में इस्तीफा दे दिया, इसका दो साल तक सत्ता में बना रहना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ।

नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण ने (1932 से आगे) लोगों को उस तरह आंदोलित नहीं किया जैसा कि पिछले चरण ने किया था। यह साफ दिखाई देने लगा था कि इस बार का जन आंदोलन अधिक दूर तक नहीं खिंचेगा। जन आंदोलन की इस शिथिलता से कांग्रेस के भीतर से संवैधानिक तरीकों की ओर लौटने की आवाजें उठने लगीं। कुछ हिस्सों में स्वराजपार्टी को पुनर्जीवित करने की बात भी चलाई गयी। आसिफअली और एस. सत्यमूर्ति इस सवाल को आंदोलन के दौरान ही गांधीजी के सामने उठा चके थे। एक और प्रमख कांग्रेसी डा. एम. ए. अंसारी परिषद में प्रवेश के पक्षधर थे। 1933 में सत्यमूर्ति ने मद्रास स्वराज पार्टी का गठन किया। के. एम. मंशी, बी. सी. राय, और रामास्वामी आयंगर ने भी स्वराज पार्टी की पुनर्स्थापना के लिए गांधीजी की सहमति प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन, इस बिंदु पर गांधीजी संवैधानिक तरीके पर लौटने के विचार के पक्ष में नहीं थे। मगर उन्होंने इन लोगों से कहा:

'अगर इस कदम (संवैधानिक तरीके की ओर वापसी) में आपका भरोसा है, तो आप इसका समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

कुछ कांग्रेसी परिषद प्रवेश के पक्ष में थे तो आचार्य नरेन्द्रदेव और पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे अन्य लोग इसके विरोध में थे। इससे कांग्रेस के भीतरी मतभेदों का खुलासा होता है। प्रत्येक पक्ष कांग्रेस की नीति को प्रभावित करने और अपनी ओर झुकाने के लिए उत्सुक था। लेकिन दोनों ही पक्ष यह काम गांधीजी की सहमति से ही करना चाहते थे। जैसे ही नागरिक अवज्ञा-

www.ignited.in

आंदोलन को वापस लिया गया, गांधीजी ने प्रत्येक पक्ष को यह कह के मन मुताबिक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र कर दिया:

"मैं चाहता हूँ कि सभी वर्ग सभी दिशाओं में एक ही लक्ष्य की ओर बिना एक दूसरे की आलोचना किये अपने-अपने तरीकों से काम करें।"

जो वर्ग इस समय परिषद प्रवेश (बवनदबपस मदजतल) का समर्थन कर रहा था वह ठीक उन तर्कों पर नहीं चल रहा था जो इससे 12 वर्ष पूर्व स्वराजवादियों ने प्रस्तुत किये थे। जैसा कि आपने पढ़ा है कि स्वराजवादियों ने परिषदों में प्रवेश संविधान को अंदर से ध्वस्त करने के लिए किया था और उन्होंने पद स्वीकार नहीं किये थे। लेकिन इस बार राजगोपालाचारी जैसे नेता जिस परिषद प्रवेश की बात कर रहे थे वह स्वराजवादियों से दो रूपों में अलग था:

- इसका उद्देश्य संविधान को ध्वस्त करना था। इसके सहज काम करने में रुकावटें खड़ी करना नहीं था। उनका उद्देश्य संविधान को कार्य योग्य बनाना था।
- बहुमत हासिल कर लेने की स्थिति में शासन भार स्वीकार करना और मंत्रिमंडलों का गठन करना था।

दूसरी ओर समाजवादी झुकाव वाले कांग्रेसी थे जो परिषद प्रवेश के विरोधी थे और संविधान को काम करने योग्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। आप पहले ही पढ़ चके हैं कि समाजवादियों ने कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करके खुद को किस प्रकार संगठित किया था। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये मतभेद हालांकि सैद्धांतिक झुकावों से प्रेरित-नियंत्रित थे, फिर भी ये कांग्रेस के अंदर आंतरिक मसले समझे जाते थे। जहां तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कांग्रेस के रवैये का सवाल था, यह हमेशा एक स्वर में प्रकट किया जाता था। उदाहरण के लिए, 1935 ऐक्ट के आपत्तिजनक खंडों की भर्त्सना कांग्रेस ने सभी वर्गों के पूरे समर्थन से की ।

कांग्रेस के सामने प्रमुख मसला यह निर्णय लेना था कि आगामी चुनावों में भाग लिया जाय और पद भार स्वीकार किया जाय या नहीं। हम अगले भाग में देखेंगे कि इन मसलों के संदर्भ में कांग्रेस ने अपनी नीति को किस तरह गढ़ा।

इससे पहले हम 1937 के चुनाव और उनसे संबधित घटनाओं के विश्लेषण को आगे बढ़ायें,. हम उस समय की आम राजनीतिक स्थिति और कुछ पूर्व-चुनावों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। काफी बहस और वाद-विवाद के बाद कांग्रेस ने अपने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में प्रांतीय परिषदों के लिए होने वाले आगामी चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले अक्टूबर 1934 में गांधीजी ने कांग्रेस की 4 आने की सदस्यता को त्याग कर खुद को कांग्रेस से हटा लिया था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि कांग्रेस में उनका प्रभाव कम हो गया था या उन्होंने कांग्रेस की नीति को निर्देशित करना बंद कर दिया था। चाहे गांधीजी कांग्रेस के चार आने वाले सदस्य रहे हों या न रहे हों, काग्रेस में उनका वर्चस्व लगातार बना रहा।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है गांधीजी ने सभी वर्गों को अपने-अपने ढंग से काम करने की आजादी दे दी थी बशर्ते कि वे एक ही लक्ष्य को लेकर यानी ब्रिटिश शासन के विरोध में काम करें। इस प्रकार 1934 से कांग्रेस ने विधानसभा या स्थानीय निकायों के चुनावों में जब भी, जैसे भी हुआ भाग लेना शुरू किया। ये चुनाव निम्न दृष्टिकोणों से लाभदायक साबित हुए:

- चुनाव परिणामों के माध्यम से कांग्रेस अपने जनाधार की परीक्षा कर सकती थी।
- इन चुनावों ने कांग्रेस को चुनावों के संगठन, नियोजन और प्रबंध के मामले में बहुत बड़ा अनुभव दिया।
- कांग्रेस, निर्वाचन राजनीति में आवश्यक कोष के लिए अपने सहयोगियों की परीक्षा ले सकती थी।

डॉ राजेन्द्र प्रसाद और 1937 के प्रांतीय सरकार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की भूमिका

यहां हम मद्रास प्रेसीडेंसी में हुए चुनावों का उल्लेख कर सकते हैं। मई 1935 में स्थानीय चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के चयन के उद्देश्य से एक कांग्रेस नागरिक बोर्ड (बपअपब इवंतक) का गठन किया गया। उम्मीदवारों को परिषद द्वारा प्रस्तत कार्यक्रम के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ी (देखिये डेविड आरनाल्ड द कांग्रेस इन तमिलनाडु) इसमें निम्न काम करना शामिल था:

- स्वदेशी को प्रोत्साहन,
- भ्रष्टाचार दूर करना
- चिकित्सा और शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार, इत्यादि।

इन स्थानीय चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक थे। मदुरई में नगरपालिका (अक्तूबर 1935) में कांग्रेस ने 36 में से 21 सीटों पर विजय प्राप्त की और एक वर्ष बाद (अक्टूबर 1936) मद्रास में 40 में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीतीं। इसी प्रकार केन्द्रीय ।

विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने मद्रास में मतदाताओं के सामने निम्न मुद्दे उठाये:

- कांग्रेस को वोट देकर उन्हें कांग्रेस के प्रति अपना निरंतर समर्थन जाहिर करना चाहिए,
- सरकार को यह दिखाना चाहिए कि तमाम दमन के बावजूद कांग्रेस जीवंत बनी हुई है,
- वे चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं।

जब परिणामों की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने इस प्रांत में जिन सात सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी को जीत कर जस्टिस पार्टी का सफाया कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर कल 76 सीटों में से कांग्रेस के उम्मीदवार 55 सीटों पर खड़े हए और 44 पर जीते। कल मतदान 650,000 था और कांग्रेस को 375,000 मत मिले।

कांग्रेस ने प्रांतीय परिषदों के चनावों में भाग लेने के पक्ष में निर्णय लेने में लम्बा समय लगाया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी अगस्त 1975 की बैठक में फैसला किया कि चनावों में भाग लेने का मसला लखनऊ अधिवेशन में हल किया जायेगा।

लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। उनके अध्यक्षीय भाषण में समाजवाद की वकालत की गई थी जिसे वे "विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं के लिए एकमात्र हल" मानते थे। उन्होंने कांग्रेस की सीधी कार्रवाई के संघर्षों में लोगों की भूमिका की सराहना की लेकिन आत्म आलोचना की टिप्पणी के रूप में उन्होंने कहाः

"हमारी राजनीति और विचार बड़ी सीमा तक जनता के बहुत बड़े भाग की आवश्यकताओं के विचार से नहीं बल्कि मध्यवर्गीय दृष्टिकोण से नियंत्रित होते हैं । उनके अनुसार लोगों तक पहुंचने का रास्ता यह था कि "जनता के दिन-प्रतिदिन के संघर्ष उनकी आर्थिक मांगों और अन्य परेशानियों के आधार पर चलाये जाने चाहिए"। नेहरू ने तीन समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव और अच्युत पटवर्धन को कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया। इस अधिवेशन में बहुत से प्रस्ताव पारित किये गये। उनमें से प्रमुख ये थेः

- "राज्यों (देशी रियासत-रजवाड़े) की जनता को भी आत्मनिर्णय का वही अधिकार होना चाहिए जो कि शेष भारत की जनता को है और यह कि कांग्रेस भारत के सभी भागों के लिए समान राजनीतिक, नागरिक, और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का समर्थन करती है"। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि राज्यों के लोगों को "अपनी आजादी का संघर्ष, स्वयं चलाना चाहिए" (इसके बारे में अधिक जानकारी)
- कांग्रेस की प्रान्तीय इकाइयों से कहा गया कि वे किसानों की समस्या संबंधी जानकारी प्राप्त करें ताकि इसके आधार पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (ए० आई० सी० सी०) को अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम तैयार करने में सहायता मिल सके।

सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तथापि, पद स्वीकार करने का निर्णय स्थगित रखा गया। यह ऐसा मसला था जिस पर कांग्रेस के भीतर काफी तेज-तीखी बहसें हुईं। उदाहरण के लिए, टी० प्रकाशम। और सत्यमूर्ति ने पद स्वीकार करने की जोरदार वकालत की। जबकि एम० आर० मसानी ने इसे अस्वीकार करते हुए कहाः

"हमसे कहा जाता है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल सरकारी स्कूलों और अन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय झंडा फहराने में कामयाब होगा। जिस दिन राष्ट्रीय झंडा यूनियन जैक के नीचे फहराया जायेगा, हमारा झंडा प्रदूषित हो जायेगा हमें नये राष्ट्रीय झंडे की खोज करनी पड़ेगी।"

अब हम एक नजर इस पर डालें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार किया। एक सामान्य प्रक्रिया यह थी कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां अपनी सिफारिश के साथ उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस संसदीय बोर्ड के पास भेजेंगी, और बोर्ड इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा। ऐसा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने एक मानदंड अपनाया जिनमें शामिल था कि एक प्रत्याशी को:

- कांग्रेस के अनुशासन का पालन करना चाहिए।
- कांग्रेस के कार्यक्रम का पालन करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए।

इन दो आधारभूत गणों के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जैसे कि प्रत्याशी की:

- कांग्रेस के लिए की गयी सेवाएं,
- लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता, और
- चुनाव का खर्चा स्वयं उठा सकने की उसकी क्षमता।

एक जबरदस्त चुनाव अभियान चलाकर कांग्रेस ने चुनाव में विजय प्राप्त करने की भरपूर कोशिश की। नेहरू ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि फैजपुर कृषि कार्यक्रम को हमारे चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। स्वयं नेहरू ने सारे देश का दौरा किया। इलाहाबाद के ग्रामीणों में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा:

"भारत में केवल दो दल हैं-एक जो लोगों के हित के लिए लड़ रहा है, और दूसरा इसके विरुद्ध।' कांग्रेस, खान बहादुरों, राजा बहादुरों और नवाबों को जो कि सरकार के साथ रहे हैं, बाहर करने के लिए परिषदों में प्रवेश कर रही है।"

लोगों में एक आम भावना घर कर रही थी कि बहुत जल्दी कांग्रेसी राज, ब्रिटिश राज की जगह पर आ जायेगा। यू०पी० के गवर्नर ने कांग्रेस के अभियान के बारे में वाइसरॉय को लिखा:

'कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने साथ कापियां लेकर घूम रहे हैं और काश्तकारों से पूछते हैं कि वे इस समय कितना लगान दे रहे हैं? काश्तकार कहते हैं शायद दो रुपया प्रति बीघा।" कांग्रेस आने कर दिया जायेगा।" "वह इसे अपनी कापी में दर्ज कर लेता है।"

विभिन्न प्रांतों में विभिन्न तिथियों में चुनाव हुए थे। चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहे। बंगाल, पंजाब और सिंध को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस ने बहुत अच्छी स्थिति दर्शायी। पांच प्रांतों में इसे स्पष्ट बहुमत मिला।

बंगाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम और बंबई में कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आयी, जबकि पंजाब और सिंध में इसकी स्थिति कमजोर थी।

निष्कर्ष

जहां तक सुरक्षित सीटों का सवाल है हम कांग्रेस की स्थिति के कुछ उदाहरण यहां दे रहे हैं (सभी 11 प्रान्तों में)

- मजदूरों के लिए सुरक्षित 38 सीटों में से कांग्रेस ने 20 पर चुनाव लड़ा और 18 पर विजय प्राप्त की।
- 482 सीटें, मुस्लिम सीटों के रूप में आरक्षित थीं। कांग्रेस ने 58 पर अपने उम्मीदवार खड़े किये और 26 पर वे जीते इनमें से 19 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की थीं। बम्बई, यू० पी०, सी० पी०, सिंध और बंगाल में कांग्रेस एक भी मुस्लिम सीट प्राप्त नहीं कर सकी। फिर भी, यहां यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं था। यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक भी सीट नहीं जीत सकी। पंजाब में 84 आरक्षित सीटों में से इसे केवल दो सीटें प्राप्त हुई।
- वाणिज्य और उद्योग के लिए 56 सीटें आरक्षित थीं। कांग्रेस ने 8 पर चुनाव लड़ा और केवल 3 सीटें जीतीं।
- भस्वामियों के लिए 37 सीटें आरक्षित थीं। कांग्रेस ने 8 पर चनाव लड़ा और 4 पर विजय प्राप्त की।

इस तरह सुरिक्षत चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन सिवाय मजदूर सीटों के संतोषप्रद नहीं था, मगर सामान्य सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहत अच्छा था। अपनी चुनावी जीत पर कांग्रेस कार्य समिति ने लोगों को निम्न संदेश दियाः

'कांग्रेस कार्यसमिति हाल के चुनावो में कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस की नीतियों के प्रति जन समर्थन का प्रदर्शन करने वाले शानदार प्रत्युत्तर के लिए राष्ट्र को बधाई देती है।"

सन्दर्भ

https://www-iasbook-com/hindi/1937&elections

www-researchgate-com

www-shodhganga-in

www-indianhistory-com

www-historylibrary-com

www-researchhistory-com

Corresponding Author

Vivek Kumar*

History Department